शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के कवरेज हेतु नियम शर्तें
प्रति कव्हरेज एवं न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु सामान्य पात्रता शर्तें

——00——

1. शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति कव्हरेज दर पर टीव्ही कव्हरेज, न्यूज बुलेटिन निर्माण एवं ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु योग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा।
2. प्रति कव्हरेज, न्यूज बुलेटिन निर्माण एवं ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु सामान्य पात्रता शर्तो तथा संबंधित कार्य की अर्हता शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य है।
3. समाचार चैनल एवं मीडिया हाउस को टी.व्ही. कव्हरेज टेण्डर में हिस्सा लेने की पात्रता नहीं होगी।
4. संस्था का स्थापना पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य में होना अनिवार्य है।
5. निविदाकार/संस्था को टेलिविजन न्यूज कव्हरेज का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। निविदाकर्ता ने जिस सेटेलाईट न्यूज चैनल/दूरदर्शन के लिये कार्य किया है,उसका सक्षम अधिकारी से प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, अथवा जिस शासकीय संस्था के लिये न्यूज कव्हरेज का कार्य किया है,उस संस्था के विगत 05 वर्ष का कार्य आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी विभिन्न न्यूज चैनलों को क्लीपिंग्स सम्प्रेषण ई–मेल एवं अन्य डिजिटल माध्यम से वीडियो फुटेज टी.व्ही. चैनलों को उपलब्ध कराने की सुविधा होनी चाहिए।
7. निविदाकार फर्म से संबंधित संलग्न कर्मचारी को टेलीविजन के लिए न्यूज कव्हरेज के संबंध में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
8. निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के 2 एचडी कैमरा होना अनिवार्य है।
9. निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के ऑडियो–वीडियो स्टुडियो के साथ एडिटिंग, डबिंग, ट्रांसफर की सुविधा होना अनिवार्य है। (उपकरण की सूची मय क्रय बिल के साथ संलग्न करें)।
10. निविदाकार फर्म का छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन होना चाहिए। जीएसटी पंजीयन की प्रति जमा करना होगा।
11. फर्म का वित्तीय वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 में टी.व्ही. कव्हरेज/वीडियो/एड फिल्म/डाक्यूमेंट्री निर्माण से संबंधित कार्यो का औसत रू. 25 लाख का टर्न ओव्हर होना अनिवार्य है। इस संबंध में उक्त कार्यो का सी.ए. से सत्यापित एवं UDIN नम्बर अंकित टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. कैमरा एवं उपकरणों की क्रय संबंधी जानकारी जैसे क्रय किए जाने की तिथि, मूल्य मॉडल नम्बर का उल्लेख होना चाहिए।
13. शासकीय कार्यक्रमों के कव्हरेज (सम्पूर्ण वीडियोग्राफी और फुटेज), न्यूज बुलेटिन व ड्रोन वीडियोग्राफी का सर्वाधिकार जनसंपर्क संचालनालय का होगा। जनसंपर्क संचालनालय के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी शासकीय कव्हरेज का फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
14. निविदाकार द्वारा कव्हरेज किए गए वीडियो, न्यूज बुलेटिन, ड्रोन वीडियोग्राफी का आर्काईविंग का कार्य किया जाएगा।
15. निविदाकार के पास क्लाउड सर्वर या स्थानीय स्टोरेज सर्वर होना चाहिए।
16. प्रदेश के विभिन्न स्थानों से कव्हरेज कर क्लिपिंग भेजने के लिये निविदाकार के पास 02 लैपटॉप एवं इंटरनेट की सुविधा होना चाहिये।(दस्तावेज प्रस्तुत करें)
17. निविदाकार प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज, न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी में से सभी में या अर्हतानुसार इनमें से किसी भी में भाग ले सकते हैं।

18. निविदाकार के स्वयं/फर्म के नाम का वाहन (फोर व्हीलर) होना अनिवार्य है। (कागजात प्रस्तुत करें)

19. निविदाकार को माह मार्च 2023 का जीएसटी रिटर्न (GSTR-3B) की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

20. निविदाकार व्यक्ति/संस्था का कर निर्धारण वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 का आयकर विवरणी एवं माह मार्च 2023 के GSTR-3B जीएसटी रिटर्न की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

21. निविदाकार को उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण जनसंपर्क संचालनालय द्वारा कराए जाने के पश्चात ही न्यूनतम निविदा मान्य किया जाएगा।

22. जनसंपर्क संचालनालय की आवश्यकता अनुरूप किसी भी समय निविदा नियम एवं शर्तो में परिवर्तन करने, नियम–शर्तें शिथिल करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर को होगा जो निविदाकार को मान्य होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, न ही कोई जवाब दिया जाएगा।

23. स्वीकृत निविदा आदेश दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति होने पर अवधि में वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर होगा।

24. बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार संचालक/आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय रायपुर को होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। (संचालनालय आवश्यकतानुसार निगोसिएशन कर सकेगा)।

25. निविदाकर्ता को आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के नाम से रूपए 1,00,000 (एक लाख रूपए) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त राशि सुरक्षा निधि हेतु होगी। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत न होने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

26. घोषणा पत्र 100 रूपए के स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा।

27. चयनित एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुबंध निरस्त किया जाएगा एवं अमानत राशि जप्त की जाएगी।

28. निविदाएं (तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बिड लिफाफा) अलग–अलग सील्ड लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर प्राप्त की जाएगी।

(अ) तकनीकी विड लिफाफा – इस लिफाफे में सभी शर्ते, आर्नेस्टमनी एवं अन्य वांछित अभिलेख होने चाहिए।

(ब) वित्तीय विड लिफाफा – इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) निविदाकार के हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।

29. जनसंपर्क संचालनालय रायपुर की लेखा शाखा में जमा की गयी निविदा फार्म की कीमत रू. 2000/– (रू. दो हजार मात्र) (वापसी योग्य नहीं) राशि की शासकीय रसीद अथवा संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के नाम से देय राशि रू. 2000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

30. निविदाकारों को टेक्नीकल बिड एवं फायनेन्शियल बिड पृथक–पृथक बंद लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफे के उपर फर्म का नाम, टेक्नीकल बिड/फायनेन्शियल बिड लिखना होगा।

31. टेक्नीकल बिड में योग्य पाए गए निविदाकारों का ही फायनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं न्यूनतम दर वाले निविदाकर फर्म से कार्य आबंटन हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

32. निविदा की किसी भी शर्तो, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आयुक्त सह संचालक, जनसंपर्क को होगा।

33. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

34. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर रहेगा।

35. संचालनालय द्वारा एडिटेड फुटेज मांगे जाने पर उसका भुगतान इस हेतु संचालनालय द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाएगा।

प्रति कव्हरेज दर पर टीव्ही कवरेज हेतु अर्हता

36. राज्य शासन के कार्यक्रमों, समारोह, आयोजनों, बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों के कव्हरेज हेतु न्यूनतम दर पर योग्य एजेंसी का चयन किया जाएगा।

37. निविदाकार द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों एवं विकास कार्यों, दौरों की समय सीमा में कव्हरेज किया जाएगा।

38. कार्यक्रम कव्हरेज के फुटेज एवं क्लिपिंग दूरदर्शन या अन्य चैनलों को पहुंचाने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

39. टी.वी. चैनलों, जनसंपर्क संचालनालय एवं दूरदर्शन को गुणवत्ता युक्त कव्हरेज कर ई–मेल, व्हाट्सऐप एवं अन्य माध्यमों से तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष वाहक से न्यूज क्लिपिंग यथासमय प्रेषित की जाएगी।

40. विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज के लिये निविदाकर्ताओं को एचडी (हाई डेफीनेशन) फारमेट में वीडियोग्राफी (न्यूज कव्हरेज), एडिटिंग ई–मेल एवं व्हाट्सऐप से न्यूज भेजने की प्रति कव्हरेज की एकमुश्त दर निविदा फॉर्म में भरना होगा।

41. निविदाकार द्वारा प्रति कव्हरेज की दर पर राजधानी रायपुर एवं जिलों में कवरेज का कार्य किया जाएगा।

42. निविदाकार के पास छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिला मुख्यालय में अपने कैमरामेन अथवा कैमरामेन की सेवा लेने संबंधित कैमरामेन के साथ अनुबंध होना अनिवार्य है। साथ ही राजधानी रायपुर में फर्म के स्वयं के पास अथवा अनुबंधित कैमरामेन के स्वामित्व का 4 एचडी कैमरा होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु उपकरण के बिल/दस्तावेज संलग्न करना होगा।

43. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्रति कव्हरेज दर पर कार्य कराया जाएगा।

44. एक ही स्थान पर अलग–अलग बताकर किया गया कव्हरेज एक से अधिक मान्य नहीं होगा। एक कार्यक्रम स्थल पर एक ही दिन में किए गए एक से अधिक टीव्ही कव्हरेजों को एक ही कव्हरेज माना जाएगा।

45. राज्य शासन के विशेष अभियान के दौरान राजधानी रायपुर से जिलों में कव्हरेज हेतु कैमरामेन उपलब्ध कराना होगा।

न्यूज बुलेटिन निर्माण के लिये अर्हता

46. न्यूज बुलेटिन निर्माण हेतु न्यूनतम दर पर योग्य एजेंसी का चयन किया जाएगा। निविदाकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब/ फेसबुक/व्हाट्सऐप एवं अन्य जनसंचार माध्यमों में प्रसारण हेतु न्यूज बुलेटिन का निर्माण किया जाएगा।

47. न्यूज बुलेटिन का निर्माण शासकीय कार्यक्रमों, आयोजनों, बैठकों एवं दौरों पर आधारित प्रतिदिन के घटनाक्रम के आधार पर किया जाएगा।

48. न्यूज बुलेटिन जनसंपर्क संचालनालय के समाचार शाखा एवं जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा जारी समाचार, फोटो एवं वीडियो पर आधारित होगा।

49. न्यूज बुलेटिन की अवधि 03 से 05 मिनट की होगी।

50. निविदाकार के पास न्यूज बुलेटिन के निर्माण के लिये वाईस ओवर आर्टिस्ट, समाचार संपादक एवं कंटेंट राईटर व आडियो–वीडियो एडिटर होना अनिवार्य है। समाचार संपादक, वाईस ओव्हर आर्टिस्ट, कंटेंट राईटर के पास समाचार चैनल या दूरदर्शन में कार्य का अनुभव होना चाहिये। साक्ष्य हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

51. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार न्यूज बुलेटिन निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

ड्रोन वीडियोग्राफी के लिये अर्हता

52. निविदाकार द्वारा ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी हेतु प्रति कव्हरेज की दर पृथक से प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु आवश्यक उपकरण एवं संसाधन होना आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक साक्ष्य हेतु बिल/दस्तावेज प्रस्तुत करें।

53. ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु न्यूनतम दर पर योग्य एजेंसी का चयन किया जाएगा।

निविदाकर्ता का पूरा नाम ————————————
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता ————————————
————————————————————————
टेलीफोन नम्बर/मो.नं. ————————————
निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ————————————

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

— 100 रूपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु घोषणा पत्र का प्रारूप :—

(रूपये 100/— स्टाम्प पेपर के साथ)

<u>घोषणा—पत्र</u>

मैं . . . . फर्म का नाम . . . . घोषणा करता हूं कि मैंने जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति टी.व्ही. कव्हरेज एवं न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु जारी निर्धारित नियम एवं शर्त अनुबंध का पूर्ण से अध्ययन करने के पश्चात् ही उपरोक्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

हमारे द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पायी जाती है तो अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार संचालक/आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे जनसम्पर्क संचालनालय की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था——————————————————या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची में) नहीं है।

स्थान——————— हस्ताक्षर

दिनांक—————— (पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर